दिनांक 06.02.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष रांची में माननीय राज्य मंत्री ,खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारत सरकार-सह-अध्यक्ष जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : बैठक पंजी में अंकित।

कार्यवाही : सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय,उपस्थित माननीय सांसद एवं विधायक सदस्य/प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि इस तरह की बैठक प्रत्येक माह हों ताकि माननीय अध्यक्ष महोदय का मार्ग दर्शन हमलोगों को मिलता रहे एवं साथ ही उपायुक्त द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि गत बैठक की कार्यवाही वेबसाइट पर दे दिया गया है अत: जिस किसी पदाधिकारी को कार्यवाही की प्रति नहीं मिली है वे वेबसाइट से एक्सेस कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से आज की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम विगत बैठक में जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक 1/2 कि0मी0 पर चापाकल होने तथा उसकी स्थिति की समीक्षा/जांच हेतु बनाई गई अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के वरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ गठित तीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए टीम के द्वारा किए गए समीक्षा एवं जांच कार्य की जानकारी ली गई । इस क्रम में निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,रांची द्वारा सदर अनुमंडल अर्न्तगत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए भ्रमण एवं जांच कार्य की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में 1/2 कि0 मी0 की दूरी पर चापाकल पाए गए लेकिन इनमें से अधिकांश चापाकल खराब पाए गए। उदाहरणस्वरुप हुसीर में 26 चापाकल देखे गए जिनमें से 3 खराब पाए गए तथा होचर में 39 चापाकल में से 11 खराब पाए गए ।

इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी,बुण्डू ने तमाड़ अड़की सोनाहातु की स्थिति से अवगत कराया एवं प्राय: वैसी ही स्थिति होने की बात कही गई जैसी की सदर अनुमंडल के संबंध

में निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,द्वारा सदर अनुमंडल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में बताया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी,खूंटी ने अपने किए गए क्षेत्रों की जांच/भ्रमण के संबंध में जानकारी दी गई खूंटी के ग्रामीण क्षेत्रों के चापाकलों के वर्तमान स्थिति से पेयजल समस्या का निदान पूर्णरुपेण नहीं होने की जानकारी दी गई।

कार्यपालक अभियंता,पेयजल स्वच्छता,पश्चिमी प्रमंडल द्वारा बताया गया कि उनके अधीनस्थ सभी 8 प्रखंडों का सर्वेक्षण पूरी तरह नहीं किया जा सका है लेकिन उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि मार्च,2007 तक इन सभी 8 प्रखंडों को पेयजल से पूर्ण आच्छादित कर दिया जायगा।

<u>अनुपालन:कार्यपालक अभियंता,पेयजल स्वच्छता,पश्चिमी प्रमंडल,रांची</u>

कार्यपालक अभियंता,पेयजल स्वच्छता,पूर्वी प्रमंडल जिनके अधीनस्थ जिले के 5 प्रखंड है ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 408 चापाकल विशेष मरम्मति के लिए बंद हैं तथा 824 चापाकल सड़े पाईप के कारण बंद हैं। कुल 17 से 20 प्रतिशत चापाकल बंद होने की जानकारी इनके द्वारा दी गई।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक पत्र है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक/मध्य विद्यालय,आंगनबाड़ी केन्द्रो,प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र,स्वास्थ उपकेन्द्र में चापाकल लगाने के संबंध में उल्लेख है,अत: इस संबंध में कार्रवाई करने से आच्छादन ज्यादा होने की बात कही गई।इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के दौरान ही इसकी स्वीकृति हेतु विभागीय सचिव,झारखंड सरकार से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के उपस्थित अधीक्षण अभियंता से इस वित्तीय वर्ष में विभाग की जो प्रस्तावित योजना है उसमें शहर/ग्रामीण क्षेत्र का क्या लक्ष्य है एवं उसे कैसे पूरा किया जायगा इस संबंध में जानकारी मांगी गई जिसके क्रम में अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में जिले के विभिन्न क्षेत्रों यथा

तैमारा,उलीलोहार,बरेन्दा,सिरकाडीह,अड़की,कांची,चान्हों ,मेसरा आदि गांवों के लिए कुल 13 पाईपलाइन जलापूर्ति की योजना स्वीकृत है लेकिन इनमें सामग्री प्राप्त नहीं होने के फलस्वरुप कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया एवं इस गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के निदान के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

<u>अनुपालन:अधीक्षण अभियंता,पेयजल स्वच्छता</u>

अनगड़ा प्रखंड के उपस्थित विधायक प्रतिनिधि श्री अंसारी द्वारा बताया गया कि अनगड़ा प्रखंड अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कुल 23 पंचायतों के 1958 चापाकलों में से 60 प्रतिशत चापाकल खराब पड़े हैं जिससे वहाँ के ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट से गुजरना पड़ता है। उन्होंने नवाडीह ग्राम में एक दाड़ी होने जिसमें अच्छी जलश्रोत होने की जानकारी दी गई एवं इसे बांधकर इससे जलापूर्ति का सुझाव दिया गया। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि यदि उक्त क्षेत्र में पेयजल का कोई अन्य समाधान नहीं होता है तो विकल्प के रुप में नरेगा के तहत इस दाड़ी को बांधने हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई किया जायगा।साथ ही ऐसे अन्य ग्रामों में भी योजना निकाला जाय जिसमें नरेगा से राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन उपायुक्त द्वारा दिया गया। तत्काल ऐसे सभी दाड़ी एवं चुंआ जो पानी के श्रोत जिन-जिन ग्रामों में है उनमें ब्लीचींग पाउडर आदि के छिड़काव हेतु सिविल सर्जन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

<u>अनुपालन- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सिविल सर्जन</u>

समीक्षा के दौरान पेयजल स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता /कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष प्रति चापाकल 253/- रुपया मरम्मति के मद आवंटन प्राप्त होता है। आज की बैठक में समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त मरम्मति की राशि प्रत्येक ग्राम के ग्राम सभा को उपलब्ध करा दी जाय और मरम्मति का कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेसो परियोजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्हें किट्स भी उपलब्ध कराये गये हैं उनके द्वारा कराया जाय एवं ग्राम सभा अपने स्तर से अपने देख रेख में अन्य साधन से भी करा सकते है।प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य का मॉनिटरींग करेंगें ।इस संबंध में समिति

द्वारा पेयजल स्चच्छता विभाग के उपस्थित अभियंताओं को विभागीय स्तर पर नीतिगत निर्णय जल्द से जल्द लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया।

<u>अनुपालन कार्य0 अभियंता,पेयजल स्वच्छता</u>

माननीय सांसद सदस्य श्री रामेश्वर उराँव द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी गांव/टोला में चापाकल लगाने का कार्य में भेदभाव नहीं बरता जाय और समान रुप से चापाकल का वितरण हो।प्राय:यह देखा गया है कि कई गांवों में 5-6 चापाकल लगे हैं और किसी -किसी गांव में मात्र 1 चापाकल अथवा चापाकल नहीं लगा होता हैं जो उचित नहीं है।अत: इसमें एकरुपता लाने का प्रयास करने का सुझाव दिया गया।

<u>अनुपालन -कार्यपालक अभियंता,पेयजल स्वच्छता</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पेयजल की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके निदान हेतु उपस्थित संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दो माह का अर्थात मार्च 07 तक का समय देते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उक्त अवधि तक चापाकल नये लगाने एवं पुराने खराब पड़े चापाकलों के मरम्मति का कार्य करना है उसे युद्ध स्तर पर करते हुए शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करते हुए आगामी ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण जनता को पेयजल की संकट से काफी हद तक निजात दिलाना सुनिश्चित किया जाय और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जहाँ पर क्राइसीस होता है वहाँ इससे निपटने के लिए पूर्व से योजना तैयार कर लिया जाय।

<u>अनुपालन: कार्य0 अभियंता,पेयजल स्वच्छता।</u>

माननीय सदस्य द्वारा सुकुरहुटू एवं पिठोरिया में पेयजल की समस्या की जानकारी दी गई जिसके क्रम में पेयजल स्वच्छता विभाग के उपस्थित संबंधित अभियंता द्वारा बताया गया कि पिठोरिया में हाई लिंक बोरिंग का कार्य चल रहा है एवं सुकुरहुटू में हाई लिंक ट्यूब वेल जो पूर्व का लगा था वह कोलैप्स कर गया इसके स्थान पर नये स्रोत पर बोरिंग हेतु कार्रवाई की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को उनके द्वारा अपने क्षेत्रों में इस संबंध में किए जा रहे सर्वे एवं चापाकल के खराब होने तथा पेयजल हेतु चापाकल की आवश्यकता आदि की सूची तीनों प्रमंडलों के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया गया ताकि इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई अगले दो माह में कर ली जाय। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंधित सभी ˙ प्रमंडल के अभियंता अपने क्षेत्रों में अभियंताओं के दल को एक्टीवेट करें तथा मरम्मति कार्य के दल को भी एक्टीवेट कर युद्धस्तर पर कार्य प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र भेज कर ग्राम प्रधान से सूची प्राप्त करेंगें कि प्रत्येक ग्राम में कितने लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। यह सर्वे कर ग्राम प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूची देंगें एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से उप विकास आयुक्त यह सर्वेक्षण सूची प्राप्त कर संबंधित पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यपालक अभियंता /अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजेंगें।

अनुपालनः कार्यपालक अभियंता,पेयजल स्वच्छता के सभी प्रमंडल रांची जिला

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड से पदाधिकारियों के एक-एक दल को पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जिला में किए गए सराहनीय कार्य की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजे जाने तथा इसके तहत एक पंचायत को निर्गल ग्राम पुरस्कार हेतु चयनित किए जाने की जानकारी दी गई एवं मेदनीपुर जिला में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अर्न्तगत किए गए कार्य की तर्ज पर रांची जिला में भी आवश्यक कार्रवाई कराये जाने संबंधी कार्रवाई की जानकारी पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के उपस्थित कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई।

अनुपालन- कार्य0 अभियंता पेयजल स्वच्छता एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,रांची

पेयजल स्वच्छता खूंटी प्रमंडल अर्न्तगत कुल 7 प्रखंडों की स्थिति की जानकारी देते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया टेन्डर 12-13 फरवरी को प्राप्त होगा ,मैटेरियल भी प्राप्त नहीं हुआ है।अगले एक माह के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाने की इनके द्वारा जानकारी दी गई।

अनुपालन- कार्य0 अभि0 पेयजल स्वच्छता,खूंटी प्रमंडल

बैठक में यांत्रिक प्रमंडल के अभियंता के उपस्थित नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अगली बैठक में अनिवार्य रुप से बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

पेयजलापूर्ति (शहरी क्षेत्र): रांची नगर निगम के उप प्रशासक ने शहरी क्षेत्र में निगम के द्वारा पेयजलापूर्ति के तहत किए जा रहे कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र के सभी 55 वार्ड को कुल 10 जोन में बांटा गया है जिसमें पाईप बिछाने का कार्य चार जोन में पूर्ण कर लिया गया है तथ दो में फरवरी 07 में तथा और दो में मार्च,07 माह में पूर्ण कर लिया जायगा।साथ ही उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उक्त 10 जोन के अतिरिक्त और 4 जोन का कार्य अगले चरण में किया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें वार्डवार एवं मुहल्लावार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निगम एवं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल आपस में समन्वय स्थापित कर आगामी ग्रीष्म ऋतु में शहरी क्षेत्र में लोगों को पेयजलापूर्ति की कमी न होने दें।रांची शहरी क्षेत्र में कुल 195 चापाकल खराब होने की जानकारी उप प्रशासक द्वारा दी गई जिसके क्रम में हटिया विधायक माननीय गोपालशरण नाथ साहदेव ने बताया कि लगभग 100 से ज्यादा चापाकल तो उन्हीं के क्षेत्र में खराब है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उप प्रशासक ,रांची नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वार्डवार सर्वेक्षण कराकर सूची उपलब्ध करायें कि कितना चापाकल निगम द्वारा लगाया गया एवं उसमें कितना खराब है।इसके साथ ही दूसरे विभाग से भी जो चापाकल शहरी क्षेत्र में गाड़े गए हैं अथवा गाड़े जाते हैं उसकी सूचना नगर निगम को दी जाय तथा नगर निगम इन सभी चापाकलों के मरम्मति आदि कार्य सुनिश्चित कराने के संबंध में कार्रवाई करे।उन्होने यह भी निर्देश दिया कि 31 मार्च,2007 के पूर्व सभी खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति करा ली जाय।

अनुपालन: प्रशासक ,रांची नगर निगम

इसके अतिरिक्त बुण्डू एवं खूंटी अधिसूचित क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र के रुप में जाने जाते हैं में भी पेयजलापूर्ति के संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

अनुपालन : अधीक्षण अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रांची नगर निगम से सटे शहरी क्षेत्र जो नगर निगम में परिभाषित नहीं होते हैं उन स्थानों यथा रातू,नामकुम,ब्राम्बे,मेसरा आदि जगहों में भी पेयजलापूर्ति के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी मांगी गई जिसके क्रम में संबंधित पेयजल एंव स्वच्छता विभाग के अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि नामकुम जलापूर्ति हेतु टावर बना दिया गया है ,पाईप बिछाने का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार ब्राम्बे में भी टावर बन जाने की जानकारी दी गई है। मेसरा में योजना की स्वीकृति हो गई है लेकिन वहाँ पर कुछ स्थानीय समस्या के चलते कार्य प्रारंभ होने में कठिनाई की जानकारी बैठक में दी गई। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,रांची को मामले के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। रातू में भी पाइपलाइन जलापूर्ति हेतु पुर्नगठन योजना बनाए जाने की जानकारी दी गई।

अनुपालनः कार्य0 अभि0 पेयजल स्वच्छता/ अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,रांची।

पेयजलापूर्ति के संबंध में उपरोक्त निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने दो माह का समय देते हुए अप्रील 07 के प्रथम सप्ताह में किए गए कार्यो की समीक्षा एवं जनप्रतिनिधियों के टीम गठित कर क्षेत्रवार स्थल निरीक्षण करने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्न्तग्त जिले में चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। इस संबंध में उपस्थित ग्राम्य अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,रांची/खूंटी के कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के अद्यतन् स्थिति/प्रगति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि योजना के तृतीय फेज का सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं चतुर्थ फेज में भी लिए गए योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता ,ग्राम्य अभियंत्रण संगठन,रांची द्वारा सूचित किया गया कि उमेउण्डा से छापर पथ के शेष निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा बंद करा दिया गया है जिसके संबंध में वन विभाग के पदाधिकारी से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर मामले का निष्पादन अविलंब कराने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।

अनुपालन-कार्य0अभि0 ग्रा0 भि0 संगठन एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी

इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों यथा साइको से उलीहातु के बीच पुल के संबंध में चार वर्ष पूर्व के प्रस्ताव का अब तक स्वीकुत नहीं होने तथा मामला लंबित रहने पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।रातू क्षेत्र में टुण्डूल में 30.00 लाख की लागत से बने पुल का पहुॅच पथ अब तक नहीं बनाये जाने से सरकारी राशि के दुरुपयोग होने की जानकारी माननीय विधायक ,हटिया ,रांची द्वारा दी गई जिसमें ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।इसी प्रकार कांके प्रखंड अन्तर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पीछे अवस्थित पुल जो होचर ग्राम को जाता है उसमें भी पहुॅच पथ अब तक नहीं बनाए जाने की जानकारी दी गई जिसके संबंध में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रांची को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुकत द्वारा बीरबांकी रोड के कार्य लंबित रहने के प्रश्न पर ग्राम्य अभियंत्रण संगठन,खूंटी को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा इसे जून माह 2007 के पूर्व कार्य समाप्त करा लेने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन-कार्यपालक अभियंता,ग्रा0अभि0 संगठन

अन्यान्य : माननीय विधायक,हटिया, रांची द्वारा अनुशंसित निम्नांकित योजना अर्न्तगत कार्य योजनाओं की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गई जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही में इसे लेते हुए इन पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

1. जिला योजना के अर्न्तगत अनुशंसित कार्य योजना की सूर्ची
2. हटिया विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत विभिन्न महत्वपूर्ण पथो के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अनुशंसित कार्य योजना की सूर्ची
3. हटिया विधान सभा के अर्न्तगत पड़ने वाले सभी पंचायतो में चापाकल की अनुशंसित सूची।
4. हटिया विधान सभा के शहरी क्षेत्र के अर्न्तगत वर्ष्ज्ञ 2006-07 में जिला योजना के तहत कायो की सूची।

5. विकास संबंधी योजनाओं केक चयन एवं कियान्वयन के संबंध में अनुमोदित सूची।

6. जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में विभिन्न विन्दुओं के संबंध में।

अंत में उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा उपस्थित पदाधिकारियों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आगामी बैठक अप्रील ,07 के प्रथम सप्ताह में रखे जाने की सूचना देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सुबोध कांत सहाय
सांसद-सह-अध्यक्ष
जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति,
रांची।